न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:– 59/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/36)**

उनवान प्रकरण :–

रघुराज सिंह परमार पुत्र अशोक सिंह परमार जाति ठाकुर निवासी बडा गॉव तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .....**प्रार्थी**

बनाम

1–राजवीर पुत्र बंगाली । समस्त जातिगण ठाकुर
2–ओमशंकर पुत्र श्यामबाबू ।
3–सन्तोषी पुत्र श्यामबाबू । निवासीगण ग्राम तसीमों
4–आशू पुत्र मुकन्द ।
5–अमित पुत्र मुकन्द । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6–राधा पुत्री मुकन्द पत्नी संदीप जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों हाल निवासी कोक सिंह का पुरा खॉडोली तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
7–कल्लो पुत्री मुकन्द । पुत्रीगण मुकन्द जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम
8–ज्योति पुत्री मुकन्द । तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
9–भूदेवी पत्नी मोहनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तह0सैपऊ जिला धौ0
10–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तामील जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सैपऊ जिला धौलपुर
11–तहसीलदार सैपऊ
12–ग्राम पंचायत तसीमों जरिय सरपंच ग्राम पंचायत तसीमों तहसील सैपऊ

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम एवम आधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी सं01लगा06, 8,9की ओर से – श्री शरीफ खांन एडवोकेट
अप्रार्थी सं011 की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

निर्णय

दिनांक 13.07.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 एवं आधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित खसरा नम्बर 2130/2922 रकवा 03 बीधा 12 विस्वा बांके ग्राम तसीमों खसरा नम्बर 2130 रकवा 187 बीधा 06 विस्वा बांके ग्राम तसीमों का अंश (पार्ट) है अर्थात 2130 में से बना है। खसरा नम्बर 2130 रकवा 187 बीधा 06 विस्वा गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी तथा जिस पर धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना तथा जिसमें से नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। खसरा नम्बर 2130 को विधिवत रूप से किस्म परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा अवैध रूप से किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम तसीमों पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 499 ग्राम तसीमों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 के पूर्वज बंगाली पुत्र राजधर जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों के पक्ष में अवैध रूप से नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को आवंटन व नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था लिहाजा नामान्तकरण संख्या 499 विधि विरूद्व है। बंगाली पुत्र राजधर का निधन हो चुका है। बंगाली के वारिस एवं उत्तराधिकारीगण पुत्रगण श्यामबावू, मुकन्द तथा राजवीर है तथा बंगाली की पत्नी गुडडी का भी निधन हो चुका है, बंगाली के पुत्र श्यामबावू का निधन हो चुका है, श्यामबावू के वारिस अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है तथा मुकन्द का निधन हो चुका है, मुकन्द के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 8 है। बंगाली के निधनोपरान्त अवैध इन्द्राजात की आड में अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 ने तथा स्व0 मुकन्द ने अपने पक्ष में अवैध रूप से विरासतन खातेदारी इन्द्राजात अंकित करवा लिये है तथा अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में अवैध रूप से 1/4 भाग का अन्तरण कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2130/2922 रकवा 03 बीधा 12 विस्वा बांके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ के नामान्तकरण संख्या 499 के सम्बध में समुचित आदेशार्थ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने की प्रार्थना की हैं

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 49 सम्बत 2070 से 2073, नकल नामान्तकरण संख्या 499, नकल जमाबंदी खाता संख्या 629 सम्बत 2033 से 2036, नकल नामान्तकरण संख्या 323 सम्बत 2033 से 2036 ग्राम तसीमॉ तहसील सैपऊ पेश की है।

(आर0 के0 जायसवाल)

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–7 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 19.12.2018 को तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 12 के विरूद्व दिनांक 30.8.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–11 की ओर से श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये उनकी ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या–1लगा06, 8 व 9 की ओर से श्री शरीफ खांन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर उक्त अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130/2922 नियमन के समय 3 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक भूमि थी तथा उसका विधि की प्रक्रिया अपनाते हुये नियमन किया गया। आज से करीब 42–43 वर्ष पूर्व विवादित आराजी किस्म सिवायचक का नियमन बंगाली सिंह के हक में किया गया तथा श्रीमान एडीएम साहब धौलपुर द्वारा नियमन की पत्रावली पर सम्पूर्ण विचार व सुनवाई कर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमन का आदेश किया गया उसके तत्पश्चात बंगाली सिंह के हक में गैर खातेदारी दर्ज की गयी व नामान्तकरण फैसल किया गया। पिछले करीब 50 वर्षो से अधिक समय से उत्तरदातागण व उनके पूर्व पुरूष बंगाली सिंह विवादित आराजी पर नियमित रूप से काश्त करते आ रहे है और भूमि को काबिल काश्त बनाया। यह कि 42 वर्ष से अधिक समय से उत्तरदातागण के परिवार की खातेदारी है व काश्त हो रही है ऐसी स्थिति में कोई भी रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लागू नहीं होती। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रेफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

वहस अंतिम विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी जिस पर धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। विवादित आराजी को विधिवत रूप से किस्म परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा अवैध रूप से किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा नामान्तकरण संख्या 499 प्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 के पूर्वज बंगाली के पक्ष में अवैध रूप से नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को आवंटन व नियमन के आधार पर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था लिहाजा नामान्तकरण संख्या 499 विधि विरूद्ध है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है। अत: प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्रों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी नियमन के समय सिवायचक भूमि थी तथा उसका विधि की प्रकिया अपनाते हुये नियमन किया गया। दिनांक 1.6.1972 को किस्म परिवर्तन का आदेश जिला कलक्टर के द्वारा दिये गये जो नामान्तकरण में दर्ज है। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष के कब्जे के आधार पर 1977 में विवादित आराजी नियमन की गई। श्रीमान एडीएम साहव धौलपुर द्वारा नियमन की पत्रावली पर सम्पूर्ण विचार व सुनवाई कर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमन का आदेश किया गया है। पिछले करीव 50 वर्षो से अधिक समय से उत्तरदातागण व उनके पूर्व पुरूष बंगाली सिंह विवादित आराजी पर नियमित रूप से काश्त करते आ रहे है 42 वर्ष से अधिक समय से उत्तरदातागण के परिवार की खातेदारी है ऐसी स्थिति में कोई भी रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लागू नहीं होती। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रेफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी जिस पर धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना, नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। विवादित आराजी को विधिवत रूप से किस्म परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। हमने पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 323 का अवलोकन किया पूर्व में उक्त विवादित आराजी चारागाह थी परन्तु उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14–16 में जिलाधीश भरतपुर के अंकित आदेश दिनांक 1.6.1972 से उक्त विवादित आराजी की किस्म परिवर्तन चारागाह से सिवायचक करने के आदेश से उक्त नामान्तकरण संख्या 323 खोला गया है। अप्रार्थी का कथन है कि कब्जे के आधार पर उक्त विवादित आराजी 1977 मे अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष को नियमन की गई। नामान्तकरण संख्या 499 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि ए.डी.एम. धौलपुर के आदेश से अप्रार्थी के

(आर0 के0 जागरवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

पूर्व पुरूष को गैरखातेदार दर्ज कर नामान्तकरण खोला गया। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी 42 वर्ष से अधिक समय से अप्रार्थीगण के परिवार की खातेदारी में है। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रेफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रा0पत्र भी करीब 42 बर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना एवं रेफरेन्स किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/7

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर